24. अधिसूचित लघु खनिज खानों के समक्ष किए गए लघु खनिजों के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे खनिज की निकासी/निर्यात ठेकेदार उस क्षेत्र से करता है तो उस अवस्था में नए उपलब्ध खनिज पर अतिरिक्त रायल्टी नियमानुसार अदा करना आवश्यक है ।

25. जिला स्तर पर पर्यावरण पर खनन से दुष्प्रभाव बारे जो सरकार द्वारा समिति का उपायुक्त की अध्यक्षता में गठन किया गया है द्वारा यदि किसी खान की स्वीकृति से पूर्व खनन के लिए अनुमोदित न किया जाए तो उस अवस्था में समिति का फैसला अन्तिम माना जाएगा ।

26. सरकार द्वारा समय-समय पर जो बिक्री कर व अन्य कर निर्धारित किए जाएं को अदा करने में बोलीदाता बाध्य होंगे ।

यदि नीलामी की गई खान का भाग निजी भूमि में है और जो भी इस भाग के लिए उच्च बोली देने में सफल हों, वह उच्च बोलीदाता इस निजी भूमि में उसी अवस्था में खनन करेगा जब भूमि मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र उच्च बोलीदाता प्राप्त करेगा ।

भाग-3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जुलाई, 1997

संख्या गृह-बी0 (बी0) 3-1/96.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निजी सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना के संलग्न उपाबन्ध 'अ' के अनुसार भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश, महाधिवक्ता कार्यालय में निजी सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) पद के भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम, 1997 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
एस0 एन0 वर्मा,
आयुक्त एवम् सचिव ।

उपाबन्ध 'अ'

महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निजी सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	निजी सहायक
2. पदों की संख्या	1 (एक)
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान	रु0 2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3500 जमा 150 रुपये विशेष वेतन प्रति मास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणिक और अन्य अर्हताएं ।	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से, जिनका ग्रेड में 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-1991) तक की गई तदर्थ सेवा सहित) संयुक्त 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा । टिप्पणी—1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-91 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होगी : परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की

82

अपेक्षाओं के कारण पदोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो, तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं ।

टिप्पणी—2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी :

परन्तु 31-3-91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ?	जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए ।	लागू नहीं
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	लागू नहीं
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English text of this department notification No. Home-B (A) 3-1/96, dated 8-7-1997, as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 8*th July*, 1997

No. Home B-(A) 3-1/96.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Personal Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Office of Advocate General, Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called Office of the Advocate General, Himachal Pradesh Personal Assistant (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

S. N. VERMA,
Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE 'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PERSONAL ASSISTANT, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE OFFICE OF ADVOCATE GENERAL, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Personal Assistant
2. Number of posts	1 (One)
3. Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3500+Rs.150/- S.P.
5. Whether selection post or non-selection post ?	Non-selection
6. Age for direct recruitment.	Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees ?	*Age* : Not applicable
9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered

by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

10.	Method of recruitment.—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion / deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers who possess 6 years regular service as regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-91) service, in the grade.

Note.—(1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-91) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex*-serviecmen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

Note.—(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into accont towards the length of service:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	Not applicable
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	Not applicable
18.	Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H. P. P. S. C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जुलाई, 1997

संख्या गृह-बी0 (बी0) 2-3/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष